

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान

संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्लिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)

फोन नं. 0761-2626543 फ़ैक्स नं. 0761-2626543

ई-मेल : jdhjabalpur@gmail.com

प्रमाणित सब्जी एवं मसाला बीजों के संभाग स्तर पर क्रय हेतु
निविदा प्रपत्र

वर्ष 2015-16 में प्रमाणित सब्जी/मसाला बीजों की
आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग- जबलपुर (म0प्र0)

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान

संभाग - जबलपुर

पता : लेडी एल्लिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)

फोन नं. 0761-2626543 फैक्स नं. 0761-2626543

ई-मेल : jdhabalpur@gmail.com

प्रमाणित सब्जी/मसाला बीजों के क्रय हेतु निविदा सूचना

वर्ष 2015-16 में संभाग अधीनस्थ जिलों हेतु बाड़ी किचिन गार्डन एवं मिनीकिट प्रदर्शन योजना के अंतर्गत प्रमाणित सब्जी बीज/मसाला बीज जिसकी किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) हो, बाड़ी किचिन गार्डन हेतु भिण्डी 64.43 क्विंटल, लौकी 37.28 क्विंटल, करेला 16.44 क्विंटल, गिलकी 29.74 क्विंटल, बरबटी 36.39 क्विंटल, पालक 67.66 क्विंटल, कद्दू 5.33 क्विंटल तथा मिनीकिट/प्रदर्शन हेतु टमाटर 11.81 क्विंटल, बैंगन 5.81 क्विंटल, मिर्च 52.87 क्विंटल, हल्दी 278.74 क्विंटल, अदरक 29.97 क्विंटल, धनियां 22.04 क्विंटल, लहसुन 41.80 क्विंटल एवं खरीफ प्याज 3.29 क्विंटल के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, बीज विभाग की माँग अनुसार छोटी पैकिंग में लिए जाएंगे। निविदाकर्ता उपरोक्त प्रमाणित बीजों में से किसी भी एक फसल की उपलब्ध मात्रा हेतु एवं समस्त बीज की उपलब्धता हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा, जो कि विभाग के नियम व शर्तों को पूर्ण करता हो।

निविदा फार्म, नियम व शर्तों सहित 1,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग जबलपुर के नाम से देय हो अथवा नकद भुगतान कर कार्यालयीन समय में दिनांक 16.06.15 तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 17.06.15 को समय दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, तथा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी। निविदा की समस्त शर्त निविदा फार्म में उल्लेखित की गई है तथा निविदा फार्म विभाग की वेबसाईट www.mphorticulture.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग जबलपुर

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान

संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्लिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)

फोन नं. 0761-2626543 फैक्स नं. 0761-2626543

ई-मेल : jdhjabalpur@gmail.com

वर्ष 2015-16 हेतु संभाग स्तर पर प्रमाणित सब्जी / मसाला बीजों की पैकिंग हेतु निविदा प्रपत्र।

- ◆ निविदा फार्म प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय सीमा- दिनांक 10.06.15 से 16.06.15 कार्यालयीन समय में।
- ◆ निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय – दिनांक 17.06.15 दोपहर 02:00 बजे।
- ◆ निविदा खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक 17.06.15 अपरान्ह 03:00 बजे।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग- जबलपुर (म0प्र0)

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान

संभाग – जबलपुर

पता : लेडी एल्लिगन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)

फोन नं. 0761-2626543 फैक्स नं. 0761-2626543

ई-मेल : jdhjabalpur@gmail.com

पत्र क्रं.

जबलपुर, दिनांक.....

प्रति,

.....

.....

.....

विषय :- प्रमाणित सब्जी एवं मसाला बीजों की संभाग स्तर पर क्रय हेतु निविदा प्रपत्र।
महोदय,

वर्ष 2015-16 में बाड़ी किचिन गार्डन एवं मिनीकिट प्रदर्शन योजना के अंतर्गत संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- जबलपुर, पता : लेडी एल्लिगन अस्पताल के सामने, जबलपुर, प्रमाणित सब्जी/मसाला बीजों के क्रय हेतु अपने नियम व शर्तों सहित निविदाएं आमंत्रित करता है।

निविदा के समस्त नियम व शर्तें इस निविदा फार्म के साथ संलग्न किए गये हैं, निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु 1000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग जबलपुर के नाम से देय हो (जो कि वापस योग्य नहीं होगा) संलग्न करना होगा। निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा निर्धारित ऑफर बॉक्स में दिनांक 17.06.15 अपराह्न 02:00 बजे तक जमा होगी एवं समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान, लेडी एल्लिगन अस्पताल के सामने, जबलपुर में अपराह्न 03:00 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जायेगी। सशर्त निविदा को अमान्य किया जावेगा।

संयुक्त संचालक उद्यान को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग- जबलपुर (म0प्र0)

प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. अमानत राशि रूपये 1,00,000 /- (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर संभाग के नाम से देय होगा, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी।
2. निविदाकारों को जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होगी, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निविदाकर्ता को अनुबंध के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि अनुबंध के समय अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जावेगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. उपरोक्त बीजों की दरें F.O.R. जिला कार्यालय पहुँचाकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेगा, उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. बाड़ी किचिन गार्डन हेतु बीजों की पैकिंग विभाग की माँग अनुसार लगभग 5 ग्राम से 100 ग्राम तक तथा मिनीकिट प्रदर्शन हेतु बीजों की पैकिंग लगभग 50 ग्राम से लेकर 5 कि०ग्रा० तक में छोटे पैकेट तैयार कर प्रदाय करना होगा, जिसका प्रपत्र एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा, विवरण बीज प्रदायगी आदेश देते समय दिया जायेगा। तदानुसार चाही गई छोटी पैकिंग में प्रदायगी सुनिश्चित करना होगी। पैकिंग का अलग से कोई भी अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
6. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) हैं उन्हीं फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जायेगे।
7. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।
8. जिन निविदाकारों की फसलवार प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होगी, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जावेगी तो उस स्थिति में द्वितीय, तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम व द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
9. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान से कोई शिकायत प्राप्त होती है, और यदि जाँच में सही पायी जाती है तो उसका निराकरण स्वयं प्रदायकर्ता को करना होगा।
10. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।
11. जिन निविदाकारों की दरें अनुमोदित की जायेगी, उन्हें शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 2 लाख अग्रिम अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।

12. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें केवल **रूपये प्रति कि०ग्रा०** में प्रस्तुत की जावेगी।
13. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे।
14. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंको में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।
15. 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार दिया जाना होगा जो कि नोटरी द्वारा नोटराइज्ड कराकर देना होगा।
16. निविदाओं में दी गई प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलने के पश्चात् समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात् तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम माँग निश्चित की जायेगी।
17. जिन लॉटो के बीजों की प्रदायगी की जावेगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रूप से संभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा।
18. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।
19. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नहीं प्रदाय किया जावेगा। तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
20. प्रदाय किए जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रूप से देना होगा।
21. निविदाकर्ता निविदा में दी गयी बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीजों की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तों के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग जबलपुर को होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र संभागीय न्यायालय होगा।
24. जिन निविदा कर्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध 3 दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्ता को करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्वोरिटी राशि जमा कराना होगी।

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग— जबलपुर (म०प्र०)

निविदा फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की चैक लिस्ट

1. संकल्प धनराशि रूपये 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट।
2. बीजों के वैध लाईसेन्स की प्रति।
3. टिन नंबर एवं पैन नंबर की प्रति।
4. निविदाकार फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रति।
5. यदि निविदाकार स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत करने एवं निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु दिये गये अधिकार पत्र की मूल प्रति स्वप्रमाणित हस्ताक्षर सहित।
6. विभाग को प्रमाणित बीजों की प्रदायगी बाबत् 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र।
7. काली सूची में एवं किसी भी संस्था द्वारा दण्डित न होने एवं किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन न होने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज़्ड किया हुआ घोषणा पत्र।

संयुक्त संचालक उद्यान
जबलपुर संभाग जबलपुर

परिशिष्ट 'अ'
कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग - जबलपुर
पता : लेडी एल्लिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761-2626543 फैक्स नं. 0761-2626543

ई-मेल : jdhabalpur@gmail.com

पत्र क्र.

दिनांक

प्रति,

संयुक्त संचालक उद्यान,

संभाग जबलपुर (म0प्र0)

महोदय,

1. निविदाकार का नाम एवं पता
2. फोन नं. फैक्स नं.
3. टिन नं.
4. पैन नं.
5. फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. वैधता दिनांक

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

परिशिष्ट 'ब'
कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग - जबलपुर
पता : लेडी एल्लिन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761-2626543 फैक्स नं. 0761-2626543
ई-मेल : jdhabalpur@gmail.com

पत्र क्र.

दिनांक

(प्रमाणित सब्जी/मसाला बीज की उपलब्धता के संबंध में)

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में
1	भिण्डी		
2	लौकी		
3	करेला		
4	बरबटी		
5	पालक		
6	कद्दू		
7	गिल्की		
8	मिर्च		
9	बैंगन		
10	टमाटर		
11	धनियां		
12	लहसुन		
13	हल्दी		
14	प्याज खरीफ		

वित्तीय ऑफर
कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग – जबलपुर
पता : लेडी एल्लिगन अस्पताल के सामने, जबलपुर (म0प्र0)
फोन नं. 0761-2626543 फैक्स नं. 0761-2626543
ई-मेल : jdhabalpur@gmail.com

वर्ष 2015-16 हेतु प्रमाणित सब्जी एवं मसाला बीजों के क्रय हेतु वित्तीय ऑफर

1. प्रदायक का नाम एवं पता
2. फोन नं. फैक्स नं.
3. ई-मेल

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल	प्रदाय दर रूपये प्रति कि०ग्रा० जिला कार्यालय पहुंचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	भिण्डी				
2	लौंकी				
3	करेला				
4	बरबटी				
5	पालक				
6	कद्दू				
7	गिल्की				
8	मिर्च				
9	बैंगन				
10	टमाटर				
11	धनियां				
12	लहसुन				
13	हल्दी				
14	प्याज खरीफ				

अनुबंध

परिशिष्ट 'स'

मेरे द्वारा विभाग की समस्त शर्तों को मान्य करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है तथा हम निम्न मात्रा के प्रदाय हेतु विभाग से आज दिनांक को अनुबंध निष्पादित कर रहें है।

प्रमाणित बीजों की अनुबंधित मात्रा का विवरण

सं. क्र.	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विंटल में	प्रदाय दर रुपये प्रति कि०ग्रा० जिला कार्यालय पहुंचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	भिण्डी				
2	लौकी				
3	करेला				
4	बरबटी				
5	पालक				
6	कद्दू				
7	गिल्की				
8	मिर्च				
9	बैंगन				
10	टमाटर				
11	धनियां				
12	लहसुन				
13	हल्दी				
14	प्याज खरीफ				

यह अनुबंध आज दिनांक को संयुक्त संचालक, उद्यान, संभाग जबलपुर के मध्य किया गया है तथा दिनांक को प्रस्तुत निविदा में मेरी फर्म की विभाग के पत्र क्र. दिनांक के द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रमाणित सब्जी/मसाला बीजों की प्रदायगी हेतु अनुबंध निष्पादित कर रहे है। अनुबंध की समस्त शर्तें हमें, मान्य है।

गवाह :

1.
2.

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग जबलपुर (म0प्र0)

प्रदायक संस्था

100/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर

मैं मेसर्स की ओर
से विभाग द्वारा आमंत्रित प्रमाणित सब्जी/मसाला बीज की निविदा हेतु निम्नलिखित कथन
करता हूँ :-

1. यह कि मेरी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
2. यह कि मेरी फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम द्वारा कभी प्रदाय के लिये दण्डित नहीं किया गया है।
3. यह कि मेरी फर्म का इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।